

23/12/2021

वकील डाॅ. गिण देवाण डाॅ. पत्रा वरकर टी. आर्. विद्वा पेश करे पर पत्रावली नियत दलजाही पेशी से पूर्व आज तक हूँ। वकील डाॅ. गिण डाॅ. पत्रा टी. आर्. से संबंधित मूल वदपत्र आज विद्वा किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में टी. आर्. में डाॅ. गिण कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। डाॅ. पत्रा टी. आर्. इसी हल पर प्रश्न की जाती है। पत्रावली फसल श्रमाए होकर नम्वर से काम हो तथा वद तकमील दालिल दस्ता है। निर्णय पुले न्यायालय में लुजाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
खण्डेला (सीकर)